

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म

514/12 कुलाब कोर्टकेन एच.ओ.  
 राहब - कुलाब मंडळ  
 पत्रावली दिनांक 23/5/18  
 ने पेश हो।

21/5/18

पकरण राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित लोक  
 अदालत/कम्य कोर्ट में रखने योग्य पाया जात है। अतः पत्रावली  
 लोक अदालत में पंचायत मुख्यालय पर दिनांक 21/6/18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
 कटूमर (अनवर)

19.6.18

पत्रावली कोर्ट के पेश हुई।  
 वकालत उपस्थित। कटूमर 20/6/18  
 गयी। पत्रावली का ड्रव लोकर किफ  
 शक/ कटूमर वकालत दा-मगत किफ  
 गलत उपर दृष्टान के सिद्ध सुविधा  
 का सिद्ध हवे हवे श्रमजीव सिद्धि  
 कटूमर के पत्र के ही न पाया जात  
 है 20/6/18 पर कटूमर (सीकर)  
 किफ वाला है तथा दिनांक 27/5/18  
 के जारी कोर्टाई निषेध सा का  
 न के लगे लक स्टाई (Confirmer)  
 किफ जाता है पत्रावली के लगे  
 मुकाम होकर सीकर सिद्धि मुकाम